भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
पशुपालन और डेयरी विभाग
लोकसभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 1290
दिनांक 30 जुलाई, 2024 के लिए प्रश्न

आवारा कुत्ता

1290. श्री अतुल गर्ग:

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पिछले एक वर्ष के दौरान देश में आवारा कुत्तों के काटने की रिपोर्ट की गई घटनाओं और घायल हुए तथा मरने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है;

(ख) आवारा कुत्तों द्वारा घायल किए गए व्यक्तियों की संख्या, जिन्हें एंटी-रेबीज शॉट्स दिया गया था, क्या है;

(ग) क्या शहरों में आवारा कुत्तों के खतरे को रोकने के लिए कोई उपाय किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री
(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम (आईडीएसपी) में कैप्चर किए गए आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2023 के दौरान कुत्तों के काटने के कुल 30,43,339 मामले रिपोर्ट किए गए। वर्ष के दौरान, कुत्ते के काटने से 286 व्यक्तियों की मृत्यु हुई।

(ख) राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केन्द्र से मिली सूचना के अनुसार वर्ष 2023 के दौरान कुत्तों के काटने के मामलों में रेबीज-रोधी (anti-rabies) खुराकों की संख्या 46,54,398 थी।

(ग) से (घ) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय देश में रेबीज की रोकथाम और नियंत्रण के लिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप के अतिरिक्त सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 12वीं पंचवर्षीय योजना से राष्ट्रीय रेबीज नियंत्रण कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहा है।

कार्यक्रम का उद्देश्य इस प्रकार है-

1. रेबीज की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राज्य और जिला स्तरीय जनशक्ति का क्षमता निर्माण
2. रेबीज पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस के लिए लागत प्रभावी इंट्रा-डर्मल रेबीज टीकों को बढ़ावा देना।
3. रेबीज निदान को सुदृढ़ करना
4. जीव-जंतुओं के काटने और रेबीज के मामलों की निगरानी को मजबूत करना
5. सूचना, शिक्षा और संचार
6. इंटरसैक्शनल समन्वय
7. परिचालन अनुसंधान
8. राज्य और जिला स्तरीय कार्यकलाप एनएचएम पीआईपी तंत्र के माध्यम से कार्यान्वित किए जा रहे हैं।

भारत में रेबीज की रोकथाम और नियंत्रण के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित पहलें की गई हैं -

- "राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन" के तहत, स्वास्थ्य कर्मियों की क्षमता निर्माण, रेबीज टीकों और रेबीज इम्युनोग्लोबुलिन की खरीद, रेबीज के निवारण और नियंत्रण के लिए जागरूक करने, समीक्षा बैठकों, मॉनिटरिंग और निगरानी, मॉडल एंटी रेबीज क्लीनिक और घाव धोने की सुविधाओं की स्थापना के लिए बजट के माध्यम से 'राष्ट्रीय रेबीज नियंत्रण कार्यक्रम' को कार्यान्वित करने के लिए बजट प्रदान करके राज्यों की सहायता की जा रही है।

- एंटी-रेबीज वैक्सीन और एंटी-रेबीज सीरम आवश्यक सूची में शामिल है और वित्त वर्ष 2019-20 में एनएचएम के तहत राष्ट्रीय मुफ्त दवा पहल में शामिल किया गया है।
- "कुत्तों से होने वाले रेबीज के वर्ष 2030 तक उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना" (एनएपीआरई) को वर्ष 2030 तक भारत में कुत्तों से होने वाले रेबीज के उन्मूलन की दृष्टि से संयुक्त रूप से विश्व रेबीज दिवस पर प्रारंभ किया गया था।
- रेबीज को अधिसूचनीय रोग बनाने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार से सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को संसूचना भेजी गई थी। वर्तमान में 23 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में मानव रेबीज अधिसूचित है।
- रेबीज हेल्पलाइन (15400) को शुरू में पांच राज्यों (मध्य प्रदेश, दिल्ली, पुदुचेरी, आंध्र प्रदेश और असम) के लिए प्रारंभ किया गया है, इसके उपरांत अन्य राज्यों में प्रारंभ करने की योजना है।
- रेबीज मुक्त शहरों की पहल चरणबद्ध तरीके से प्रारंभ की गई है जिसमें शुरू में 15 राज्यों में रेबीज निवारण और कार्य योजना तैयारी के लिए टियर 1 और टियर 2 शहरों को लक्षित किया गया है।
- रेबीज प्रोफिलेक्सिस और प्रशिक्षण मॉड्यूल पर विभिन्न दिशानिर्देश तैयार किए गए हैं और संदर्भ तथा कार्यान्वयन के लिए राज्यों के साथ साझा किए गए हैं।
- चिकित्सा अधिकारियों और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार किए गए हैं। सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में जीव-जंतुओं के काटने संबंधी उचित प्रबंधन और रेबीज पोस्ट-एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस (पीईपी) पर स्वास्थ्य व्यावसायिकों के लिए अनेक प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए गए हैं।
- कुत्तों के काटने पर क्या करें और क्या न करें के संबंध में जागरूकता पैदा करने, रेबीज के रोगियों के प्रबंधन आदि के लिए राज्यों और जिलों द्वारा नियमित आईईसी कार्यकलाप किए जाते हैं https://rabiesfreeindia.mohfw.gov.in/iec।

इसके अलावा, कुत्ते के काटने के मामलों को नियंत्रित करने से संबंधित महत्वपूर्ण कार्यों में से एक कुत्ते की आबादी का प्रबंधन करना है। इस संबंध में, कई स्थानीय निकाय पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम और एंटी रेबीज टीकाकरण को लागू कर रहे हैं, जिसके लिए केंद्र सरकार ने पशु जन्म नियंत्रण नियम, 2023 बनाए हैं। भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड ने कुत्तों के प्रबंधन और उत्तरदायित्वपूर्ण (pet parentship) के लिए जनता और स्थानीय प्राधिकरणों के लिए विभिन्न परामर्शियां जारी की है। केन्द्र सरकार पशु रोग नियंत्रण के लिए राज्य को सहायता के अंतर्गत राज्य सरकार को निधियां भी प्रदान कर रही है। राज्य सरकार रेबीज टीकाकरण के लिए भी निधि का उपयोग कर सकती है।

***